5

:: न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर ::

समक्ष
डॉ0 एम0के0अग्रवाल
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी/879/एक/2015–विरूद्ध आदेश दिनांक 09–03–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 69/2013–14/अपील।

श्रीमती प्रेमबाई पत्नी नारायनसिंह लोधा,
निवासी हिलगना, तहसील व जिला गुना,म0प्र0। ———आवेदिका

विरूद्ध

1. अतुल जग्गी पुत्र नानकचन्द्र जग्गी,निवासी
   पुरानी गल्ला मण्डी,तहसील व जिला गुना,म0प्र0।
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,जिला गुना। ———अनावेदकगण

1. श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक——————————आवेदिका के लिये।
2. श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक——————————अनावेदक क्र–1 के लिये।
3. श्री प्रखर ढेंकुला, अभिभाषक——————————अनावेदक क्र–2 के लिये।

:: आदेश::

(आज दिनांक 18/5/2018. को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/2013–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 09–03–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील गुना के ग्राम जगनपुर में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 68/3 रकवा 1.045 है0 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1991 को निगरानीकर्ता श्रीमती प्रेमबाई पत्नी नारायनसिंह लोधा द्वारा क्रय की गयी थी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1991 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण किये जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 03.02.2012 को आवेदन पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 306/2012–13/अ–6 पर पंजीवद्ध करते हुये आदेश दिनांक 30.03.2013 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1991 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर निगरानीकर्ता के हक में नामान्तरण स्वीकार किया गया विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अमल राजस्व अभिलेख में करते समय पटवारी मौजा के समक्ष यह त्थ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नाधीन भूमि पर रजिस्टर्ड

विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2009 के आधार पर क्रेता गैरनिगरानीकर्ता–1 अतुल जग्गी के हक में नामान्तरण पंजी क्रमांक 117 दिनांक 05.04.2012 आदेश दिनांक 24.04.2012 से नामान्तरण स्वीकार होकर राजस्व अभिलेख में अमल हो चुका है। पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा गैरनिगरानीकर्ता अतुल जग्गी के हक में हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 24.04.2012 को पुनर्विलोकन में लेने हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया गया। विचारण न्यायायल द्वारा निगरानीकर्ता प्रेमबाई के हक में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 30.03.2013 से परिवेदित होकर गैरनिगरानीकर्ता अतुल जग्गी के द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी,गुना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 61/2012–13/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 11.10.2013 से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये यह भी उल्लेख किया गया कि गैर निगरानीकर्ता अतुल जग्गी के हक में हुआ नामान्तरण आदेश दिनांक 24.04.2012 निरस्त किये जाने से उक्त प्रकरण में पुनर्विलोकन अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य नही रह जाता है इस लिये पुनर्विलोकन अनुमति हेतु प्रकरण निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10. 2013 से व्यथित होकर गैरनिगरानीकर्ता अतुल जग्गी के द्वारा अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 69/2013–14/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 09. 03.2015 से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 30.03.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी,गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2013 निरस्त करते हुये गैरनिगरानीकर्ता अतुल जग्गी के हक में हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 24.04.2012 यथावत रखा गया। अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 से दुखी होकर निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये है कि प्रश्नाधीन भूमि को निगरानीकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.91 से क्रय की गयी थी इस प्रकार निगरानीकर्ता प्रश्नाधीन भूमि की प्रथम क्रेता है। यह भी बताया कि निगरानीकर्ता के पक्ष में स्वत्व का अन्तरण हो जाने के बाद विक्रेता को प्रश्नाधीन भूमि में कोई स्वत्व शेष नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक–1 के पक्ष मे किया गया कथित अन्तरण दिनांक 29.06.2009 के विक्रय–पत्र के आधार पर प्रारंभ से ही शून्य होकर स्वत्व विहीन है। इन सब त्थ्यों पर अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा पूर्ण विवेचना करने के बाद ही गैरनिगरानीकर्ता–1 के द्वारा प्रस्तुत अपील में निगरानीकर्ता के हक में हुये नामान्तरण आदेश को यथावत रखा गया था, किन्तु अपर आयुक्त,

ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण के तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये जो निष्कर्ष निकाला है, वह विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह भी बताया है कि गैरनिगरानीकर्ता–1 के द्वारा निष्पादित तथा कथित विक्रय पत्र 29.06.2009 एवं उसके आधार पर प्रारंभ की गयी नामान्तरण कार्यवाही व पारित नामान्तरण आदेश धोखे पर आधारित होना स्पष्ट है, जिसमें राजस्व न्यायालयों को भी शामिल करने का प्रयास गैरनिगरानीकर्ता द्वारा किया गया है। इस प्रकार अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत होने तथा विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 30.03.2013 को यथावत रखा जावे।

5. गैरनिगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये गये है कि निगरानीकर्ता के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.91 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण कराये जाने बावत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2012 को प्रस्तुत किया गया था। जब निगरानीकर्ता के पक्ष में वर्ष 1991 का विक्रय पत्र था तो यथासमय उसके आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही क्यों नही की गयी। 20 वर्ष के बाद नामान्तरण कराये जाने का कोई औचित्य नही है। इसके अलावा यह भी बताया कि निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 03.02.2012 को प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन पत्र में तथ्यों को छुपाया गया है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा इसके पहिले भी विचारण न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया था, जो विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.01.2004 को निरस्त किया जा चुका था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2004 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की गयी जो दिनांक 06.04.2004 को निरस्त हुई तथा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में पेश की, जो दिनांक 14.10.2005 को निरस्त की गयी। इसके बाद निगरानीकर्ता द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में कोई कार्यवाही नही की। अतः अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश हो चुका है इन सब बिन्दुओं का खण्डन निगरानीकर्ता के द्वारा नहीं किया गया। स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता को पुनः उसी भूमि पर नामान्तरण कराये जाने की अधिकारिता नहीं थी। अतः अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जावे तथा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का भलीभांति परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसील गुना के ग्राम जगनपुर में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 68/3 रकवा 1.045 है0 पर

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.91 के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2012 को पेश किया गया। स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र 20 वर्षो के बाद विचारण न्यायालय मे पेश किया गया। 2006 रे0नि0 135 बैगम सुरैया रशीद विरूद्ध म0प्र0 राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिकार 1954 में अर्जित किया जाना अभिकथित तथा नामान्तरण के लिये आवेदन 1989 में दिया जाना विधि की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरूपयोग है। प्रस्तुत प्रकरण में भी निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 1991 में अधिकार अर्जित किया जाना अभिकथित किया गया है तथा नामान्तरण के लिये आवेदन पत्र वर्ष 2012 में दिया गया। विधि की प्रक्रिया का स्पष्टतः दुरूपयोग किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन करने पर यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि इसी प्रश्नाधीन भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.91 के आधार पर पूर्व में भी निगरानीकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष नामान्तरण करने बावत आवेदन पत्र पेश किया गया था, जो प्रकरण क्रमांक 80/2002–03/अ–6 पर पंजीवद्ध होकर दिनांक 13.01.2004 से निरस्त किया जा चुका था। प्रथम अपील निगरानीकर्ता के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पेश की गयी जो प्रकरण क्रमांक 36/2003–04/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 06.04.2004 से निरस्त की गयी। द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 334/2003–04/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 14.10.2015 से निरस्त की गयी। उसके बाद निगरानीकर्ता द्वारा किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में अपील/निगरानी प्रस्तुत नही की गयी। इस प्रकार अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2005 वर्तमान में भी प्रभावशील है। जब निगरानीकर्ता को किसी भी न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त नही हुई तब उसके द्वारा सारे तथ्यों को छुपाते हुये पुनः वर्ष 2012 में नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने से पहिले राजस्व अभिलेखों का अवलोकन न करते हुये 20 वर्ष पुराने विक्रय विलेख के आधार पर निगरानीकर्ता के हक में नामान्तरण स्वीकार कर दिया गया, जबकि प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्व से ही गैरनिगरानीकर्ता के हक में नामान्तरण स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में उसके नाम की प्रविष्टि हो चुकी थी। अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा भी इन महत्वपूर्ण बिन्दु पर बिना विचार किये ही प्रस्तुत अपील में गैरनिगरानीकर्ता के हक में हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 24.04.2012 को भी निरस्त कर दिया गया। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा प्रकरण में पूर्ण विवेचना करने के उपरांत ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 30.03.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2013 को निरस्त करते हुये गैरनिगरानीकर्ता के हक में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 24.04.2012 को पुर्नस्थापित किये जाने

के आदेश दिये गये। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 विधिसम्मत होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर